4-10-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर विस्तृत फ़ैसला मे लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते

7-10-19 वकील वादी द्वारा निर्णय दिनांक 4-10-19 की पालना मे डिग्री जारी करवाने हेतु स्टाम्प पेश किया जो शामिल पत्रावली किया जाकर डिग्री जारी कर शामिल पत्रावली की गई है।

Web Copy Not Official

न्यायालय
पीठासीन अधिक
राजस्व वाद सं
1 दलीप
जिला
1 रामेश्वर
जिला
2 कलाव
तहसील
3 चन्द्राव
तहसी
4 शांति
जिला
5 राजस्
दावा अ
1. श्री र
2. कुमार
3. राज
वादी
इस न्यायाल
ता 3 के पि
कृषि भूमि व
किला नम्बर
नम्बर 3, 8,
हैक्टर मय
नम्बर 133
नकल जमा
खाता संख्य
वाद
का स्वर्गवा

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 316/2019

1 दलीप कुमार पुत्र स्व. श्री भजनलाल जाति खाति निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ ––– वादी

–:: बनाम ::–

1 रामेश्वर लाल पुत्र स्व. श्री भजन लाल जाति खाती निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 कलावती पुत्री स्व. श्री भजन लाल पत्नी भागीरथ जाति खाती निवासी कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3 चन्द्रावली पुत्री स्व. श्री भजनलाल पत्नी इमीलाल जाति खाती निवासी किकरालीया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4 शांति देवी पत्नी स्व. श्री भजन लाल जाति खाती निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़। ––– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री रामकुमार बिश्नोई अधिवक्ता — वादी
2. कुमारी सन्तोष पुनियां अधिवक्ता — प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4
3. राज पैरोकार — प्रतिवादी संख्या 5

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 4.10.19

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता व प्रतिवादीया संख्या 4 के पति स्व. भजन लाल के नाम से एकल खाता की कृषि भूमि वाके चक नम्बर 2 एम.डबल्यू.एम. ए खाता संख्या 31/29 पत्थर नम्बर 132/352 किला नम्बर 16, 17, 18, 19, 20/2, 21/2, 22, 23, 24, 25 पत्थर नम्बर 133/352 किला नम्बर 3, 8, 14/2 पत्थर नम्बर 132/353 किला नम्बर 1/2, 2, 3, 4, 5, 16 कुल 4.555 हैक्टर मय गैरमुमकिन खाला व चक नंम्बर 2 एम.डबल्यू.एम. बी खाता संख्या 32/28 पत्थर नम्बर 133/353 किला नम्बर 1, 2, 9, 10, 11, 20 कुल 1.518 हैक्टर दर्ज खातेदारी है। नकल जमाबंदी चक 2 एम.डबल्यू.एम. ए खाता संख्या 31/29 व चक 2 एम.डबल्यू.एम. बी खाता संख्या 32/28 सम्वत 2073–76 हमराह पेश है

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता व प्रतिवादी संख्या 4 के पति भजनलाल का स्वर्गवास हो चुका है स्व. भजन लाल को उक्त भूमि विरासतन प्राप्त हुई है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का हक हिस्सा है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का परिवार संयुक्त परिवार था भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की है तथा संयुक्त परिवार विभाजित हो गया है तथा अरसा पूर्व वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने उक्त भूमियो का घरू विभाजन किया हुआ है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने घरू बंटवारा मे प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि का हक वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 4 के पक्ष मे त्याग कर दिया प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के हक त्याग करने के पश्चात उक्त कुल भूमि कुल तादादी 6.073 हैक्टर के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 4 हकदार है तथा घरू बंटवारा के रोज से बिना किसी रोक टोक के शांति पूर्वक काबिज होकर काश्त कर रहे है। परन्तु राजस्व अभिलेख मे अभी भूमि स्व. भजन

सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

लाल के नाम से दर्ज होने के कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 4 के अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पडता है तथा बैंक लोन व अन्य सरकारी सुविधाओं व लाभों से वंचित हो रहे है अतः वादी इस अमर की घोषणा करवाने का अधिकारी है कि चक 2 एम.डबल्यू.एम ए खाता संख्या 31/29 की 4.555 हैक्टर व चक 2 एम.डबल्यू.एम. बी खाता संख्या 32/28 की 1.518 हैक्टर भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिस्सा बराबर के व प्रतिवादी संख्या 4 शांति देवी चक 2 एम.डबल्यू.एम. ए खाता संख्या 31/29 मे .253 हैक्टर, चक 2 एम.डबल्यू. बी खाता संख्या 32/28 में 0.253 हैक्टर कुल 0.506 हैक्टर की खातेदार काश्तकार है तथा चक 2 एम.डबल्यू.एम. ए खाता संख्या 31/29 व चक 2 एम.डबल्यू.एम बी खाता संख्या 32/28 मे से स्व. भजन लाल का नाम कलमजन किया जावे।

घरू बंटवारा के पश्चात वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने बट सीव के विवाद से बचने के लिए व अपनी काश्त की सुविधा अनुसार आपसी सहमति से निम्न प्रकार से विभाजन किया हुआ है :–

1. वादी दलीप कुमार :– चक नम्बर 2 एम.डबल्यू.एम. बी खाता संख्या 32/28 पत्थर नम्बर 133/253 किला नम्बर 1, 2, 9, 10, 11, 20 कुल 1.518 हैक्टर चक 2 एम. डबल्यू.एम. ए पत्थर नम्बर 133/352 किला नम्बर 14/2 में से .038 हैक्टर पत्थर नम्बर 132/353 किला नम्बर 1/1/.228, 2 ता 5 प्रत्येक 0.253 कुल तादादी 2.796 हैक्टर।
2. प्रतिवादी संख्या 2 रामेश्वर लाल :– चक नम्बर एम.डबल्यू.एम. ए खाता संख्या 31/29 पत्थर नम्बर 133/352 किला नम्बर 3/.253, 14/2 में से 0.038 हैक्टर पत्थर नम्बर 132/352 किला नम्बर 16 ता 19 प्रत्येक 0.253, 20/2/.228, 21/2/.228 22 ता 25 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल तादादी 2.771 हैक्टर।
3. प्रतिवादी संख्या 4 शांति देवी पत्नी स्व. भजनलाल :– चक नम्बर एम.डबल्यू.एम. ए पत्थर नम्बर 133/352 किला नम्बर 8/.253 चक नम्बर 2 एम.डबलयू.एम. बी पत्थर नम्बर 132/353 किला नम्बर 16/253 कुल 0.506 हैक्टर।

खाता मुश्तरका होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण के बीच आये दिन रकम राज व बट सींव को लेकर विवाद रहता है । इसलिए वादी अपनी कब्जा कास्त अनुसार खाता विभाजन करवा कर अपना खाता अलग कायम करवाना चाहता है। वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वाद पत्र की चरण संख्या 3 मे वर्णितानुसार भूमि का वादी को खातेदार घोषित करवाकर खाता विभाजन करवा देवे पहले तो वे टालमटोल करते रहे आखिर 7 रोज पूर्व मुकाम हनुमानगढ़ ने स्पष्ट इन्कार हो गये।

प्रतिवादी संख्या 5 को बतौर भू–धारक वाद से पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार एवं पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) घोषणा फरमाई जावे कि चक 2 एम.डबल्यू.एम. ए खाता संख्या 31/29 की 4.555 हैक्टर व चक 2 एम.डबल्यू.एम. बी खाता संख्या 32/28 की 1.518 हैक्टर भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिस्सा बराबर के व प्रतिवादी संख्या 4 शांति देवी चक 2 एम डबल्यू.एम. ए खाता संख्या 31/29 मे 0.253 हैक्टर, चक 2 एम.डबल्यू.बी. खाता संख्या 32/28 मे 253 हैक्टर कुल 0.506 हैक्टर की खातेदार काश्तकार है तथा चक 2 एम.डबल्यू. एम. ए खाता संख्या 31/29 व चक 2 एम.डबल्यू.एम बी खाता संख्या 32/28 मे से स्व. भजन लाल का नाम कलमजन किया जावे।

(ख) अर्जीदावा की मद संख्या 04 के मुताबिक खाता विभाजन किया जाकर खाता अलग अलग कायम कर रकम राज अलग अलग कायम की जावे।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय दिलाना उचित समझे, दिलाया जावे।

(घ) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

सहायक कलक्टर
उपखण्डाधिकारी

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से राज पैराकार द्वारा जवाब स्टेट प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए वादी वाद पत्र डिक्री किया जाता है, तो राज्य पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से वादी बहस सुनी गई।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दौरानें बहस राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया। इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38–39–40–53, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1, 3, व 4 के पिता तथा प्रतिवादी संख्या 2 के पति श्री भजनलाल के देहान्त के उपरान्त उनकी भूमि के विरास्तन हकदार उभयपक्ष है, जिनका हिस्सा मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि में 8 एम.डबल्यू.एम. ए के खाता संख्या 31/29 व चक 8 एम.डब्लयू.एम.

उपखण्ड अधिकारी कलक्टर

Scanned by CamScanner

बी के खाता संख्या 32/28 में वर्तमान प्रविष्टि **"भजनलाल वल्द हुणरताराम जाति खाति खाकिन मैनावाली"** को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर **"वादी संख्या 1 दलीप कुमार 2.796 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 2 रामेश्वरलाल को 2.771 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 4 शान्ति देवी को 0.506 हैक्टर भूमि का खातेदार"** घोषित किया जाकर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 व 4 की भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत मुताबिक राजीनामा निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

1 वादी संख्या 1 दलीप कुमार पुत्र स्व. श्री भजनलाल जाति खाति निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
2 एम.डब्ल्यू. एम. बी	32/28	133/353 (1)	1, 2, 9, 10, 11, 20 सालम	1.518 हैक्टर
2 एम.डब्ल्यू. एम. ए	31/29	133/352 (22)	14/2 में 0.038	0.038 हैक्टर
		132/353 (29)	1/2/.228, 2 ता 5 सालम	1.240 हैक्टर
कुल भूमि :–				2.796 हैक्टर

2 प्रतिवादी संख्या 2 रामेश्वर लाल पुत्र स्व. श्री भजन लाल जाति खाती निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
2 एम.डब्ल्यू. एम. ए	31/29	133/352 (22)	14/2 में 0.038, 3/.253	0.291 हैक्टर
		132/352 (21)	16 ता 19 सालम, 20/2/.228, 21/2/.228, 22 ता 25 सालम	2.480 हैक्टर
कुल भूमि :–				2.771 हैक्टर

3 प्रतिवादी संख्या 4 शांति देवी पत्नी स्व. श्री भजन लाल जाति खाती निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
2 एम.डब्ल्यू. एम. ए	31/29	133/352 (22)	8/.253	0.253 हैक्टर
		132/353 (29)	16/.253	0.525 हैक्टर
कुल भूमि :–				0.506 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 5.10.19 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

पीठासीन अधिकारी :- अनिल यादव [illegible]

राजस्व वाद संख्या :- 110/2010

1. सतीश कुमार पुत्र श्री मक्खनलाल जाति जाट निवासी [illegible] तहसील व जिला हनुमानगढ़ -- वादी

:: बनाम ::

1. [illegible] पुत्र श्री [illegible] जाति जाट निवासी [illegible] तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. [illegible] पुत्री श्री [illegible] जाति जाट निवासी [illegible] तहसील [illegible] जिला हनुमानगढ़।
3. [illegible] पुत्री श्री [illegible] जाति जाट निवासी [illegible] तहसील [illegible] जिला हनुमानगढ़।
4. [illegible] देवी पत्नी श्री [illegible] जाति जाट निवासी [illegible] तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार [illegible] हनुमानगढ़। -- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

निर्णय दिनांक [illegible]19

वादी की ओर से श्री रामकुमार बिश्नोई अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से [illegible] तथा प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से [illegible] इस वाद में आज दिनांक [illegible]19 को [illegible] सुनकर [illegible] हनुमानगढ़ के [illegible] किया जाकर डिक्री की जाती है, कि पत्रावली के [illegible] के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि [illegible] मुरब्बा संख्या 31/20 [illegible] मुरब्बा संख्या 32/28 में वर्तमान खातेदार "मक्खनलाल [illegible] जाति जाट [illegible]" को विभाजित किया जाकर उसके स्थान पर "वादी संख्या 1 सतीश कुमार 2.706 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 2 [illegible] को 2.771 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 4 [illegible] देवी को 0.606 हैक्टर भूमि का खातेदार" घोषित किया जाकर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 व 4 की भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत [illegible] निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :-

1. वादी संख्या 1 सतीश कुमार पुत्र श्री मक्खनलाल जाति जाट निवासी [illegible] तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :-

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.29 15:23:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: